न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि0 नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 07 / 2023	2023 / 58	30.10.2023	10.01.2025

1. लालाराम यादव पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

2. तहसीलदार किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्ट

3. उदमीराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रैस्पाडैण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढ़बास नामान्तकरण संख्या 1244 दिनांक 25.01.2022 ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री संजय यादव – वकील अपीलान्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़बास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1244 निर्णय दिनांक 25.01.2022 ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 415 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 430 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 439 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) का अभिलिखित खातेदार काश्तकार तरतीबी रेस्पाडेन्ट उदमीराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) है, तथा विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 456 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 477 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम ग्राम किराडिया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) का अभिलिखित खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्ट लालाराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) है। खातेदारान ने उक्त भूमि का विनिमय करने के लिए मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पाडैन्ट ने प्रार्थनापत्र असल रैस्पोडैन्ट तहसीलदार किशनगढवास जिला खैरथल–तिजारा के समक्ष पेश किया गया। जिस पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करतें हुए असल रैस्पाडैन्ट तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा दिनांक 04–08–2021 को विनिमय करने की सहमति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

व आज्ञा प्रदान कर अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को विनिमय पत्र लिखाकर उसका पंजीयन उप पंजियक कार्यालय में कराने व पंजीकृत विनिमय विलेख प्रस्तुत होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिए गये। जिसकी पालना में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडैन्ट ने विनिमय पत्र तहरीर व तकमील कराकर उप पंजीयक किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के समक्ष पेश किया गया। जो विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 578 में पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 202103359100634 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1471 के पृष्ठ संख्या 244 से 250 पर उप पंजीयक किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पंजीबद्ध किया गया। विनिमय पत्र पंजीबद्ध होने के उपरांत वर्तमान में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट विनिमय की गई, एक दूसरे की उपरोक्त आराजीयात पर काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चलें आ रहें है। वर्तमान में मौके पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडेन्ट का वास्तविक/भौतिक कब्जा है। उक्त विनिमय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1244 दिनांक 30–12–2021 को भरकर दिनांक 01–12–2022 को मिलान करके भू अ. निरीक्षक के समक्ष पेश किया, जिसका भू0 अ0 निरीक्षक द्वारा दिनांक 17–01–2022 को मिलान किया गया, तथा तस्दीक हेतु असल रैस्पाडैन्ट तहसीलदार किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के समक्ष पेश किया गया। असल रैस्पाडैन्ट तहसीलदार किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा दिनांक 25–01–2022 को विधि विरुद्ध व बेजा तरीके पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुयें, पटवारी हल्का व भू0 अ0 निरीक्षक की रिर्पोट के बावजुद खारिज किया गया हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट ने उक्त विवादित आराजी का विनिमय किया गया है, तथा असल रैस्पार्डेन्ट द्वारा विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 को पारित किया गया, जिसके आधार पर विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 को उप पंजीयक किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान द्वारा पंजीबद्ध किया गया। मिन अपीलान्ट ने विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 की छायाप्रति पटवारी हल्का को दे दी थी, और पटवारी हल्का ने विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र पंजीकृत दिनांक 04–08–2021 के आधार पर आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1244 मिन अपीलान्ट के हक में भरा गया। कानूनन उक्त विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 के आधार पर असल रैस्याडैन्ट तहसीलदार किशनगढबास को अपीलाधीन नामान्तकरण मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पार्डेन्ट के हक में स्वीकार करना चाहिये था। लेकिन असल रैस्पाडैन्ट ने उक्त विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 के आधार पर आलोच्य नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है। और विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 के विपरीत अपीलाधीन नामान्तकरण विनिमय आदेश के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आज्ञा नामान्तकरण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित की गई है। जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि असल रैस्पाडैन्ट विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 के विपरीत तथ्य दर्ज करते हुये, अपीलाधीन आज्ञा नामान्तकरण पारित की गई हैं। जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं हैं, जिससे उक्त तथ्य किसी प्रकार साबित हो। इसलिए उक्त विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 के अनुसार उक्त आराजी का अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करना चाहिये था। लेकिन असल रैस्पाडैन्ट ने खिलाफ कानून व साक्ष्य अपीलाधीन नामान्तकरण विनिमय आदेश के अभाव में खारिज किया गया हैं। पटवारी हल्का व भू अ. निरीक्षक द्वारा गलत रिर्पोट की गई हैं। विकल्प में यदि विनिमय आदेश उपलब्ध नही था, तो मिन अपीलान्ट को तलब कर विनिमय आदेश व विनिमय पत्र लेकर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया जा सकता था। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, क्योकि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपीलान्ट की गैरहाजरी व गैरमोजुदगी में बिना नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पीडित पक्षकार को सुने बिना ही पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

की प्रति पटवारी हल्का को दी गयी। जिस पर मिन अपीलान्ट को उसके हक में दर्ज कर तस्दीक कराने का आश्वासन दिया गया था। मिन अपीलान्ट इस विश्वास में था, कि उक्त विनियम आदेश व विनिमय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलान्ट के नाम खातेदारी का अंकन हो चुका है, लेकिन पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 13.03.2023 को हुई, जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से आलोच्य आदेश की जानकारी हुई, जानकारी होने पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया गया जो नकल तैयार होकर उसी दिन सांय को प्राप्त हुई। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर अन्य आवश्यक इन्तजाम कर बिना देरी किये अपील की गयी है। अपील किये जाने में हुये विलब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का प्रथृक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 13.03.2023 से अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.01.2022 निरस्त फरमाया जावे।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित होकर अपनी बहस में अपीलान्ट का समर्थन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1244 दर्ज दिनांक 25.01.2022 वाके ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 20.03.2023 को पेश की गयी है, जो करीब एक 1 माह 24 दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.01.2022 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 13.03.2022 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा नंबर हाल 415 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 430 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 439 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) का अभिलिखित खातेदार काश्तकार तरतीबी रैस्पाडैन्ट उदमीराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) आराजी खसरा नंबर हाल 456 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 477 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) का अभिलिखित खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्ट लालाराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) है। खातेदारान ने वर्णित भूमि का विनिमय करने के लिए तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। जिस पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करतें हुए, तहत अदालत द्वारा दिनांक 04–08–2021 को विनिमय करने की सहमति/आज्ञा प्रदान किये जाने पर अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट ने विनिमय पत्र तहरीर व तकमील कराकर उप पंजीयक किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के समक्ष पेश किया गया। जो विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 578 में पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 202103359100634 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1471 के पृष्ठ संख्या 244 से 250 पर उप पंजीयक किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पंजीबद्ध किया गया। विनिमय पत्र के आधार पर ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1244 दिनांक 30–12–2021 को दर्ज किया जाकर बाद जॉच कार्यवाही की गयी जिसम पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है, कि विनिमय के आदेश उपलब्ध नही है, जिसके आधार पर दर्ज नामान्तकरण तहत अदालत द्वारा खारिज किया गया है, लेकिन विचाराधीन अपील में वकील अपीलान्ट द्वारा विनिमय के आदेश की प्रति पेश की गयी है। प्रकरण में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

पेश किये गये रिकार्ड के आधार पर नामान्तकरण की अग्रिम कार्यवाही हो सकती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये विनिमय आदेश दिनांक 04–08–2021 व विनिमय पत्र दिनांक 04–08–2021 के परिपेक्ष में प्रकरण की पुनः जॉच कर खातेदारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25–01–2022 नामान्तकरण संख्या 1244 ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/01/25

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
खैरथल तिजारा